

712 पञ्जावली आण्ड कॅम्प कोर्ट मणकसास में पेश हुई। पञ्जावली में लक्ष्मीजहार उदयपुरवादी से रिपोर्ट ली गई। लक्ष्मीजहार उदयपुरवादी की रिपोर्ट आनुसार वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमिगा राखसव रिवाड के आनुसार संवत् सं 2012 के 200 2019 की जमा बन्दी में माफ़ी मंदिर की ढाकुर की के नाम से दर्ज रही है तथा वर्तमान राखसव रिवाड में भी माफ़ी मंदिर ढाकुर की के नाम दर्ज रिकार्ड है। राज्य सरकार के आदेशानुसार जो भूमिगां संवत् 2012 में माफ़ी मंदिर के नाम दर्ज रही हैं उन भूमिगों में श्वातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं किसे जा सकते हैं। वादी प्रस्तुत वादपत्र के परिगे मंदिर भूमि में कोई आनुतोष पालन करने का अधिकारी नहीं है। इक्त विवेचन के वादी का वादपत्र आधारहीन होने से श्वारिज किया जाना उचित प आशोचिर प्रतित होला है।

आदेश

वादी का वादपत्र आधारहीन होने से श्वारिज किया जाला है।

पञ्जावली कॅम्पल शुआर होकर नम्बर से जाण हो लका फारिवा दफतर से। निर्णय आज दिनांक 6.7.17 को कॅम्प कोर्ट मणकसास में सुजागा गूगा।

राखसव अधिकारी
उदयपुरवादी (उदयपुर)